

# कायालिय अंचल अधिकारी, चास (बोकारो)।

-:: जमाबन्दी प्रमाण पत्र ::-

प्रमाण पत्र संख्या ..... १७ .....

दिनांक : ..३।६।२०१.....

हल्का सं० ..... ५४ (आ०५५) ..... के हल्का कर्मचारी ..... ३।१।५८ ..... ता० ५८ (आ०५८) .....

एवं अंचल नियोजक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा ..... २।८ .....

थाना नं० ..... ३० ..... खाता नं० ..... ५।५८ ..... १।३३ ..... द्वेष्टरा नं० ..... ६।९।२ ..... ६।९।३ .....

रक्वा ..... १।८७ ..... तुलि ..... भूमि पंजी (II) के भाग सं० ..... १।०) ..... के पृष्ठ सं० १।५।५ .....

में ..... ७।८।१ ..... तुलि ..... पिता/प्रति ..... (अ०५८) ..... ५।५८ (आ०५८) ..... ता० ५८ (आ०५८) .....

के नाम जमाबन्दी कायम है।



नोट :-

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

*A. K. S.*  
राजस्व उपनियोजक  
चास।

*Asstt. Commr.*

*Asstt. Commr.*  
अंचल नियोजक  
चास।

*Asstt. Commr.*  
अंचल अधिकारी  
*Chas.*

# कार्यालय अंचल अधिकारी, चास (बोकारो)।

-:: जमावन्दी प्रमाण पत्र ::-

प्रमाण पत्र संख्या

१८

दिनांक

२६/१/३१

जमावन्दी प्रमाण पत्र के दस्तावेजों की ओरांकन कार्यालय -

एवं इस दिनांक के बाह्य प्रतिवेदन के अन्तर वार्ताएँ नहीं

संख्या सं० ३० ..... जारी सं० ५०८,४३३ लोकांक ६३१२,६३१३

संख्या २०३ मि. भूमि क्षेत्र (II) के अंतर सं० १६२ ..... के पुकां सं० २५

मे. छोटीकुलां ग्राम पालिं जमावन्दी कार्यालय -

के नाम उग्रावन्दी कार्यालय है।



नो-

यह एक उत्तम गति की प्राप्ति के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी व्यापार में उपयोग के लिए या उपयोग के लिए है।

राजस्व अधिकारी  
चास।

अधिकारी, २६/१/३१  
चास।

अधिकारी, २६/१/३१  
चास।

# कर्यालय अंचल अधिकारी, चास (बोकारो)।

-:: जमाबन्दी प्रमाण पत्र ::-

प्रमाण पत्र संख्या ..... १८ .....

दिनांक : ..... ३१.८.२००८

हल्का सं० १११(लाइन) के हल्का कर्मचारी ..... अ०५८७..... दि. १५.८.०८ .....

एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा ..... ८४८.....

थाना नं० ..... २० ..... खाता नं० ..... ५०५.१३३.. खेसरा नं० ६.१२.६.९.१३.....

रकवा ..... २००५.८.११... भूमि पंजी (II) के भाग सं० ..... १.६.९..... के पृष्ठ सं० .. ७६ ..

में ..... १०१.८.११.८.११.८. पिता /पति ..... जै.ल.लाल.इ.रा. माला.....

के नाम जमाबन्दी कायम है।



नोट :-

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

*A. Singh*  
राजस्व उपर्युक्त  
चास।

*A. Singh*  
अंचल निरीक्षक  
चास। १५.८.२०१२।

*A. Singh*  
अंचल अधिकारी  
१५.८.२००८